>

Title: Need to provide adequate relief to the people displaced due to acquisition of their land for coal-mining.

श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी (रीवा) : महोदय, देश के कोयला क्षेत्र में कोयला खान परियोजनाओं के निर्माण हेतु भूमि अर्जित की जाती है। भूमि अधिग्रहण के समय सी आई एल तथा इससे संलग्न सहयोगी कंपनियों द्वारा विस्थापितों को मुआवजा, नौकरी तथा भूमि का मूल्य देने के बडे-बड़े वायदे किये जाते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष अनुभव ऐसा है कि यह वादे कभी भी निभाये नहीं गये। फलस्वरूप देश के कोयला खानों के भूअर्जन संबंधित हजारों मामले आज भी लंबित पड़े हुए हैं।

कोयला मंत्रालय तथा सी आई एल ने विस्थापितों के लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति 2003 के अंतर्गत नई नीति बनाने का कार्य शुरू किया लेकिन इसमें लगातार विलंब किया जा रहा है। आज देश में भूमि अधिग्रहण के बारे में असंतोÂा दिखाई दे रहा है। किसानों की कृÂिा योग्य भूमि के अधिग्रहण हेतु बाजार योग्य मुल्य तथा अधिक मुआवजा देने की मांग हो रही है। कोयला मंत्रालय इसका संज्ञान लेकर अपने पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति में कालोचित बदलाव करें। विस्थापितों को अब तक दिया जा रहा मौद्रिक मुआवजा दुगुना करना चाहिए। किसानों से चर्चा कर उनके भूमि के बाजार के अनुसार मूल्य निर्धारण हो, उसी तरह परियोजना में विस्थापितों को नौकरी देने के लंबित सभी मामलों का तत्काल निपटारा करने का प्रावधान रखे। इतना ही नहीं सी आई एल द्वारा महिलाओं की नियुक्ति में हो रही उपेक्षा को समाप्त कर महिला नियुक्ति के सभी मामलों का निपटान करें और कृÂिÂा योग्य भूमि के अधिग्रहण के मामले में खेतिहर मजदूर और महिला मजदूरों को भी नौकरी तथा मुआवजे में अधिक फायदा दिलाने के प्रावधान कर नई नीति शीघ्र घोÂिात करने की आवश्यकता है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से कोयला मंत्री से अनुरोध करता हूं कि उक्ताशय अनुसार उचित कार्यवाही प्राथमिकता से करने का कÂट करें।